खाकी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फरवरी दंगों का यह सच भी बताना चाहिए

विकास नारायण राय

दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने सुपरकॉप जूलियस रिबेरो की उस चर्चित चिट्ठी का जवाब दे दिया है, जिसमें फरवरी के साम्प्रदायिक दंगों में राजनीतिक कारणों से पक्षपातपूर्ण इन्वेस्टीगेशन करने पर सवाल उठाये गए थे। इस बीच कई और पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने भी इसी बिना पर दिल्ली पुलिस को शक के कठघरे में खड़ा किया है। जवाब में, न केवल श्रीवास्तव ने अपनी पुलिस की पूर्ण निष्पक्षता का दावा किया है बल्कि उल्टे गेंद रिबेरो के पाले में डाल दी है कि वे बिना तथ्यों को जाने भ्रामक रिपोर्टों और बयानों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं।

अपने समर्थन में श्रीवास्तव ने आंकड़े दिए हैं कि दंगों को लेकर कुल दर्ज 751 एफ़आईआर में से 410 अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की ओर से दर्ज की गयी हैं जबकि 190 बहुसंख्यक समुदाय और शेष पुलिस की ओर से। उनके अनुसार गिरफ्तार लोगों में भी दोनों समुदायों से लगभग आधे-आधे व्यक्ति शामिल हैं। स्पष्ट है, आंकड़ों की इस कारीगरी को दिल्ली पुलिस राजनीतिक/सामाजिक विरोध को सांप्रदायिक दंगे जैसे आपराधिक कृत्य की भूमिका बनाने की अपनी कवायद को सही ठहराने में आगे भी इस्तेमाल करती रहेगी।

दरअसल, हुआ यह है कि मोदी सरकार के साम्प्रदायिक नागरिकता कानून के विरोध में गत दिसंबर से चल रहे आन्दोलन में सक्रिय रहे जाने-माने राजनीतिक, समाजकर्मी और छात्र एक्टिविस्ट 24-26 फरवरी के उत्तर-पूर्व दिल्ली के साम्प्रदायिक दंगों के साजिशकर्ता बना दिए गए हैं। वह भी महज इस हवाई तर्क पर कि धरना स्थलों पर भड़की हिंसा ने उनकी साजिश के चलते हिन्दू-मुस्लिम दंगों का रूप ले लिया।

यह कुछ वैसे ही हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आन्दोलन में फरवरी 1922 में हुए चौरी चौरा काण्ड की हिंसा के लिए गांधी जी और कांग्रेस के उन तमाम बड़े नेताओं को साजिशकर्ता ठहरा दिया जाए जिन्होंने सितम्बर 1920 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन शुरू किया था। ब्रिटिश पुलिस ने भी तब के रौलट एक्ट उर्फ़ काला एक्ट का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया था, जैसा अब दिल्ली पुलिस यूएपीए का कर रही है।

नागरिकता कानून के विरोधियों को दंगों की हिंसा से जोड़ने की मुहिम में दिल्ली पुलिस ने तमाम आरोप पत्रों में एक चार-आयामी साजिश-खाका डाला है। इसके अनुसार सीपीएम महासचिव सीताराम येचूरी, स्वराज अभियान के योगेन्द्र यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद, डाक्यूमेंट्री निर्माता राहुल रॉय-सबा दीवान, लंगर चलाने वाले डीएस बिंद्रा जैसे लोग साजिशकर्ता की भूमिका में दिखेंगे; आइसा, पिंजड़ा तोड़ जैसे संगठनों और उमर खालिद, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल जैसे युवा उनके संपर्क सूत्र करार दिए जायेंगे; धरना स्थल पर मुख्य स्थानीय व्यक्तियों को हिंसा में मुख्य संगठनकर्ता माना जाएगा; और जो मुस्लिम वास्तव में हिंसा में लिप्त थे उन्हें उपरोक्त तीन श्रेणियों द्वारा भड़काया गया बताया जाएगा। इस खाके का एकतरफ़ा निष्कर्ष यह भी निकल सकता है कि हिंदुओं की ओर से सारी हिंसा आत्मरक्षा में हुयी है।

पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव के जवाब में निम्न बेहद संगत मुद्दों पर भी खामोशी है-

1. एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दिल्ली पुलिस राजनीतिक और सामाजिक विरोध को अपराध की श्रेणी में किस बिनाह पर डाल रही है?

2. दंगे का चरित्र साम्प्रदायिक था और इसमें जिन 53 लोगों की जान गयीं उनमें 45 अल्पसंख्यक समुदाय से थे। अधिकांश संपत्ति का नुकसान भी इन्हीं का हुआ और ज्यादातर एफआईआर भी इसी समुदाय की ओर से हैं। ऐसे में दोनों समुदायों से लगभग बराबर की गिरफ्तारी स्वयं में पुलिस की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल है?

3. कपिल मिश्रा की भूमिका की कोई छानबीन क्यों नहीं की गयी? स्वयं पुलिस के एक गवाह नजमुल हसन ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में कहा है कि चाँद बाग़ पर धरना टेंट में कपिल मिश्रा के लोगों ने आग लगाई थी। जबकि आरोप है कि कपिल मिश्रा के तार नागरिकता आन्दोलन को साम्प्रदायिक दंगे में बदलने से जुड़े हुए हैं।

4. दंगों के दौरान पुलिस के कई आपराधिक कृत्य कैमरे में कैद हैं। इनको इन्वेस्टीगेशन का विषय क्यों नहीं बनाया गया? अनेक मौकों पर जानबूझकर क़ानूनी कार्यवाही करने में पुलिस की कोताही को प्रशासनिक जांच का विषय क्यों नहीं बनाया गया?

क्या दिल्ली पुलिस स्वयं को वाकई निष्पक्ष दिखाना चाहेगी? तो इसका एक सीधा उपाय है कि वह बस थोड़ा पारदर्शी हो जाए। दिसंबर 2019 से तमाम धरना स्थलों की गतिविधियों को पुलिस की बीट टीमें कवर कर रही होंगी। उनकी रोजाना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिये- सही तस्वीर स्वयं पुलिसवालों की जुबानी ही बाहर आ जायेगी। दूसरे, पुलिस द्वारा उस दौरान बनाए गए सभी वीडियो, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनिवार्य है, को जारी कर दीजिये- वे घटनाक्रम का जरूरी दस्तावेज हैं। तीसरे, दंगों के दौर में सभी सम्बंधित पुलिस कर्मियों के बीच हुए परस्पर कॉल डिटेल भी प्रकाशित करें ताकि उन सबकी जवाबदेही सामने आये।

पुलिस कमिश्नर इतना कर सकें तो उन्होंने जूलियस रिबेरो को ही नहीं अपने हर आलोचक को उचित जवाब दे दिया समझिये। अन्यथा उनका जवाब लीपापोती के सिवा कुछ नहीं।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने अपनी पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों पर चुप्पी लगा रखी है

राष्ट्रीय जब उमर खालिद ने अंडरग्राउंड होने से इनकार कर दिया

यूसुफ किरमानी

दिल्ली जनसंहार 2020 में उमर खालिद की गिरफ्तारी इतनी देर से क्यों की गई, इस रहस्य से मीडिया पर्दा उठाने को तैयार नहीं है। दिल्ली का दंगा फरवरी-मार्च 2020 में हुआ। उस वक्त शाहीनबाग में महिलाओं का आंदोलन चरम पर था। शाहीनबाग में महिलाओं का आंदोलन शुरू करने की प्रेरणा में जामिया के शिक्षकों के अलावा कहीं न कहीं उमर खालिद का भी हाथ था। यह बात भारत सरकार की खुफिया एजेंसी को पता है। वह उमर खालिद ही हैं, जिन्होंने शाहीनबाग में महिलाओं का आंदोलन शुरू होने की जानकारी सबसे पहले अपने ट्वीट के जरिए दुनिया को दी। तब तक किसी भी मीडिया को शाहीनबाग की भनक नहीं थी।

मुझे मीडिया में तीन दशक हो चुके हैं। शाहीनबाग, जामिया और आसपास के तमाम लोगों को मैं जानता हूं लेकिन कोई भी मुझ तक वह सूचना सबसे पहले नहीं भेज पाया था। आंदोलन शुरू होने के चार दिन बाद में वहां पहुंचा था। तब तक छात्र नेता शारजील इमाम की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पर सीएए-एनआरसी के विरोध में चल रहा आंदोलन मेरी निगाह में था, शारजील इमाम की तमाम कोशिशें और उनके भाषण भी नजर में थे लेकिन उमर खालिद का सरोकार जामिया के गेट नंबर 7 से नहीं था। उनका सरोकार शाहीनबाग और जंतर मंतर थे। उस दौरान जंतर मंतर पर हुए बहुत सारे प्रदर्शनों को उमर खालिद ने लीड किया, यह भी भारत सरकार की खुफिया विभाग की जानकारी में है। उमर के घर से निकलते ही उनकी सारी गतिविधियों की जानकारी दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास रहती थी।

हर जगह, हर कार्यक्रम में उमर के एक-एक भाषण को रेकॉर्ड किया जाता, शाम को सारे आला पुलिस और खुफिया अफसर उमर के भाषण को सुनते और फिर अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते थे कि आखिर इस लड़के के खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज करें। ऊपर से आदेश था कि जो भी कार्रवाई हो वो पुख्ता हो।

पुख्ता कार्रवाई के चक्कर में छह महीने निकल गए, दिल्ली पुलिस कागज जमा करती रही लेकिन सबूत नहीं जुटा सकी। अभी जब तीन दिन पहले संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था तो उसकी पूर्व संध्या पर उमर को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे चार दिन पहले उमर पर दबाव बनाया गया कि वह छिप जाए, अंडरग्राउंड हो जाए। लेकिन उसने दिल्ली पुलिस को इस तरह का सहयोग देने और भागने से इनकार कर दिया। दरअसल, अगर उमर खालिद छिप जाते तो 11 लाख पेजों की जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर तैयार की है, उसमें बिखरी फर्जी कहानियां को गोदी मीडिया में प्लांट कराने में आसानी हो जाती। एंकर अब तक गला फाड़कर जमीन आसमान एक कर रहे होते।

बरहाल, उमर ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की चाल को नाकाम कर दिया। सरकार ने योजना यह बनाई थी कि संसद के मॉनसून सत्र में जब विपक्ष बेरोजगारी, चीन से तनाव, हरियाणा में किसानों की पिटाई जैसे मुद्दे उठाने की फिराक में है तो उमर खालिद की गिरफ्तारी और सीताराम येचुरी, योगेन्द्र यादव, अपूर्वानंद आदि का नाम उछालने से विपक्ष सारे मुद्दे भूलकर इस पर फोकस करेगा। इसके लिए गोदी टीवी चैनलों को आदेश दिया गया, वे अपने चैनलों पर उमर खालिद की आड़ में हिन्दू मुस्लिम बहस चलाना जारी रखें, ताकि जनता का ध्यान वहीं लगा रहे। एक भी गोदी चैनल हरियाणा-पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं दिखा रहा लेकिन उसे उमर खालिद से संबंधित फर्जी पुलिस कहानियों को दिखाने का समय है।

यह कितना शर्मनाक है कि तमाम गोदी चैनलों के पास उमर खालिद के भाषणों के पूरे टेप मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद उसे दिल्ली पुलिस की तैयार की गई कहानियों पर ही भरोसा है। डॉ. काफील खान के मामले में भी यही हुआ था। फासिस्ट योगी सरकार की पुलिस ने डॉ. काफील के वीडियो को मनमाने ढंग से संपादित करके केस दर्ज किया था लेकिन जब हाई कोर्ट ने पूरा वीडियो भाषण सुना तो अलीगढ़ पुलिस की जमकर लानत-मलामत की। अलीगढ़ पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। वही हथकंडा अब उमर खालिद के मामले में भी अपनाया जा रहा है। अदालत जब उमर के सभी भाषण एक-एक कर सुनेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

उमर खालिद के राजनीतिक रूप से जीनियस होने की मुहर इस गिरफ्तारी ने लगा दी है। गिरफ्तार होने से पहले उमर ने अपना अंतिम वीडियो जो रेकॉर्ड किया था, उसे बुधवार को प्रेस क्लब दिल्ली में जारी कर दिया गया, वह सुनने लायक है। उमर ने कहा कि सरकार मुझे क्यों खतरनाक मानती है, क्योंकि मैं कहता हूं कि यह देश जितना मेरा है, उतना सबका है। हम सब एक खूबसूरत भारत में रहते हैं, जहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न संस्कृतियों के लोग एकसाथ रहते हैं। हर कोई इस देश के संविधान और कानून के लिए एकसमान है। लेकिन अब इस एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हमें बांटा जा रहा है। वो हमें जेलों में बंद कर डराना चाहते हैं। हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। इसलिए नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाइए, डरिए मत।

उमर की गिरफ्तारी से साफ हो गया कि देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो साफ सुथरी राजनीति में यकीन नहीं करती है। उसे वह हर शख्स जेल में चाहिए, जिससे उसके विचार नहीं मिलते। दिल्ली में जिन्होंने दंगे कराये, जिनके वीडियो सबूत मौजूद हैं, वे खुलेआम और भी जहर उगलते फिर रहे हैं लेकिन जो लोग ऐसे दंगाइयों का विरोध करते हैं, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। दरअसल, यह जनता के सब्र का इम्तेहान भी है। बिजली, पानी, टूटी सड़क, स्कूल फीस, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई के बारे में जब जनता सोचेगी, तभी उसे यह भी समझ आएगा कि उमर खालिद की गिरफ्तारी किन नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए की गई है।

जब जनता नाकाम नोटबंदी, डूबती अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेगी, तब उसे उमर खालिद की गिरफ्तारी फिजूल लगने लगेगी। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर सूरजकुंड के पास खोरी में जिस तरह दो हजार गरीबों को एक झटके में बेघर कर दिया गया, जब जनता इन टूटे घरों के सामने बने अवैध मैरिज हॉल के बारे में सोचेगी तब उसे उमर खालिद की गिरफ्तारी गलत लगेगी। अभी तो जनता भांग खाकर मस्त है। कंगना रणौत का मनोरंजन मुफ्त में उपलब्ध है ही, जीने को और क्या चाहिए।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)

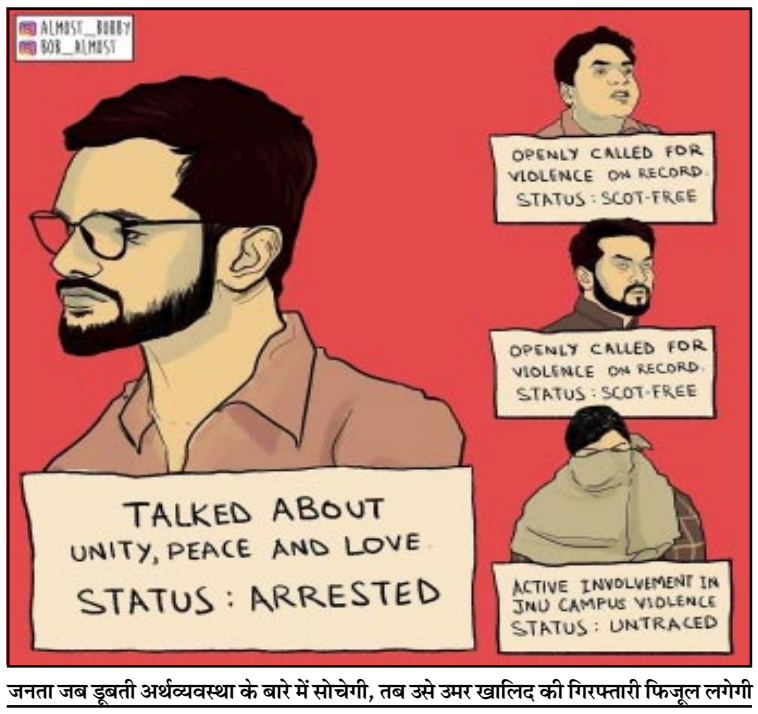

जनता जब डूबती अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेगी, तब उसे उमर खालिद की गिरफ्तारी फिजूल लगेगी